मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 2007 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2007 (अग्रहायण 6, 1929)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री अंतर सिंह आर्य, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार "मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (क्रमांक 6 सन् 2007)" पटल पर रखेंगे.

3. जुलाई-अगस्त, 2007 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

4. नियम 267-क के अधीन जुलाई-अगस्त, 2007 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

5. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

6. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री कृष्ण कुमार सिंह (भंवर साहब), सदस्य, वन विभाग द्वारा निजी भूमि को वन भूमि मानकर सीमांकन किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले में सड़कों की जर्जर हालत होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

7. सभापति तालिका की घोषणा

8. वर्ष 2007-2008 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, वर्ष 2007- 2008 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

9. जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंधन मंडल हेतु सदस्यों का निर्वाचन

श्री गोपाल भार्गव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 25 की उपधारा (1) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल के लिये राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों. "

-2-

10. प्राक्कलन समिति के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 223 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2007-2008 की शेष अवधि के लिये प्राक्कलन समिति में रिक्त दो स्थानों की पूर्ति के लिये अपने मे से 2 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों."

11. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये एक सदस्य का निर्वाचन

कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2007-2008 की शेष अवधि के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में रिक्त एक स्थान की पूर्ति के लिये अपने में से 1 सदस्य (जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से हो) के निर्वाचन के लिये अग्रसर हो."

निर्धारित समय
1 घन्टा 30 मि.

12. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की सूचना पर चर्चा

प्रदेश में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से केरोसिन व खाद्य सामग्री न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सत्यदेव कटारे तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 26 नवम्बर, 2007